



राजस्थान सरकार

विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

ई-मेल rnsccmujy@gmail.com

दिनांक 27/11/15

दूरभाष: 0141-2224878

क्र0: एफ04 (200)एमएनजेवाई/बजट पत्रावली/2015-16/519

समस्त मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

समस्त प्रमुख विकित्सा अधिकारी

राजस्थान।

विषय:-

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत 12 ग्रांट इन एड व 18 एमईटीपी मद् में आवंटित बजट के उपयोग किये जाने हेतु निर्देश के संबंध में।

वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्रांक एफ 04 () लेखा/ब.प्लान/नि.जांच/14-15/725-26 दिनांक 14.10.2014 के व समय समय पर दूरभाष पर जारी निर्देश के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत लेख है कि एमएनजेवाई अन्तर्गत विकित्सा संस्थानों के लिये आपके कार्यालय को वर्षवार आवंटित बजट के उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है इसके पश्चात भी यह पाया गया है कि एमईटीपी मद् में व्यय न किया जाकर ग्रांट इन एड मद् में से ही सभी प्रकार के भुगतान किये जा रहे है इस संबंध में पुनः आपको निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते है कि :-

- योजनान्तर्गत 12 ग्रांट इन एड मद् में आवंटित बजट का उपयोग विकित्सा संस्थानों में कार्यरत सविदा कर्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु ही किया जाना है।
- योजनान्तर्गत 18 उपकरण एवं मशीनरी मद् में आवंटित बजट का उपयोग कोषालय के माध्यम से विकित्सा संस्थानों में संचालित उपकरणों के वार्षिक रखरखाव, रिपेजेंट्स, कन्स्यूमेबल्स, रिपेयर आदि कार्यों हेतु किया जाना है।
- इसके अतिरिक्त आपके अधीन विकित्सा संस्थानों में कार्यरत सविदा कर्मिकों की विकित्सा संस्थानवार सूची व संकलित सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करावें तथा इन सविदा कर्मिकों को किये गये भुगतान की स्थिति भी स्पष्ट करावें।
- उक्त राशि एमएनजेवाई के लिये ही उपयोग में ली जायेगी, अन्य किसी कार्यों में नहीं, अन्य किसी कार्य में उपयोग लेने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।
- उपरोक्तानुसार के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना/समस्या होने पर प्रभारी डॉ0 गुणमाला जैन, प्रभारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना से मोबाइल नम्बर 9829794188 कार्यालय नं0 0141-2388012 पर संपर्क किया जावें।

निदेशक (सूची0 स्वास्थ्य)

विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी (एमएनजेवाई)।
3. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (सूची0 स्वास्थ्य)

विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर